


तारीख
नं. अ.
तारीख
र.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	सुरेशमान बनाम उर्मिला बंवर को. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा हथामी निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 149/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21-8-23	<p>पत्रावली आज पेश हुयी। वकील चाडी व पक्षडारान अनुपस्थित। प्रकरण में डोई समाप्ति तक रक-2 हर बार-2 भावज विलवायी जमी। वकील वारी व पक्षडारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील वारी व पक्षडारान की अनुपस्थिति में दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा डो अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल शुभांक हाका वाप लकमील काबिल दफ्तर हो।</p>	


(दिलीप सिंह) 21/08/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर, सीकर